## ORDER SHEET [Contd] विशेष विद्युत प्र0क0 ......133/2017.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018  परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ट यंत्री गोहद शहर श्री गौरव साक्य सहित श्री विकास कांकर अधिवक्ता उप0।  अभियुक्त द्वारा श्री के०सी० उपाध्याय उपस्थित। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण में परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत पेश किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप लगाया गया है।  उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत उर्जा की राशि व शमन शुक्क जमा किया जा चुका है तथा उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।  सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन उचित होने से स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को उक्त धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है / नष्ट हो। आदेश की प्रति उभयपक्ष को नि:शुक्क प्रदाय हो। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।	परिवादी पक्ष
	(सुनील कांकर एड.) (धर्मेन्द कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी ख0पी०क०—21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म0प्र0	